

an>

Title: Issue of misbehaviour with IAS officer by Delhi Government Minister.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ। वह मुद्दा एक आईएएस अधिकारी के साथ बदसलूकी का है, जो बदसलूकी किसी और ने नहीं, दिल्ली के एक मंत्री ने की। वह मुद्दा जून से बढ़ता-बढ़ता इस मुकाम तक पहुँचा, क्योंकि असलियत में जो रेट कांट्रैक्ट के ऊपर एक हजार बसें, यानी दो हजार से ढाई हजार करोड़ रुपये का घपला करने की कोशिश थी, वह अधिकारी इसके लिए बार-बार मना कर रही थी। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि फाइनेन्शियल कांट्रैक्ट के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, आप उनको लिख लीजिए। कैबिनेट को जो फैसला लेना है, वह ले, लेकिन हमारे ऑब्जेक्शंस लिखे जाएं। इसी प्रकार से जो मुख्य मंत्री पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहता है, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर सीसीटीवी कैमराज को ऑफ करवा दिया, बल्कि अब से कैबिनेट की मीटिंग रिकार्ड तक नहीं होती हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका पूरी तरह से संज्ञान लिया जाए और इस विषय को पूरी महत्ता दी जाए। खास तौर से महिला सुरक्षा को देख कर कि जो लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, न डीसीडब्ल्यू इस पर कुछ कर रहा है और एनसीडब्ल्यू खास तौर पर इस पर कार्रवाई करे और इसे संज्ञान में ले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:30 pm.

